भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 169

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व आर्थिक मंच

***169. प्रो. सौगत रायः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच से देश में प्राप्त प्रस्तावों और परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे निवेशों के माध्यम से रोजगार का राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे निवेशों को आकर्षित करने के लिए किसी नियम में ढील दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने निवेश आकर्षित नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की 55वीं वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी, 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में आयोजित की गई। डब्ल्यूईएफ में राज्यों की भागीदारी स्वैच्छिक है। वर्ष 2025 में छह राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने इसमें भाग लिया है।

विश्व आर्थिक मंच, अपने उल्लिखित मिशन के अनुसार, सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह हितधारकों के बीच सार्थक संबंध स्थापित करने हेतु एक वैश्विक, निष्पक्ष और गैर-लाभकारी मंच प्रदान करता है ताकि इससे आपसी विश्वास स्थापित किया जा सके तथा सहयोग और प्रगति हेतु पहलें तैयार की जा सकें। यह वार्षिक बैठक आयोजित करता है, जिसमें विश्वभर के देशों से कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के नेता, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन इत्यादि भाग लेते हैं। वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन "कोलैबरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज" विषय पर किया गया था।

डब्ल्यूईएफ ने तेलंगाना के साथ चल रहे सहयोग के एक भाग के रूप में डिजिटल हेल्थ एक्ट्यूएटर का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, यह संसूचित किया गया है कि कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, ने महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार अवसरों सहित डब्ल्यूईएफ में संभावित निवेश के लिए एमओयू किया है। तथापि, उपर्युक्त के लिए नियमों में छूट नहीं दी गई है। राज्यों और अन्य हितधारकों के बीच डब्ल्यूईएफ की बैठकें द्विपक्षीय रहीं, जिसमें भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा।

(घ): इसमें कई राज्यों ने भाग नहीं लिया और इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

*****